प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर   दिनांकः- 15.03.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 08.07.2018 को थाना चांदपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त साबिर पुत्र यूसुफ अंसारी निवासी मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना चादंपुर जनपद बिजनौर को 345 प्रतिबंधित नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 489/18 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम साबिर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.03.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-IV द्वारा मु0अ0सं0 489/18 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त साबिर पुत्र यूसुफ अंसारी निवासी मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- साबिर पुत्र यूसुफ अंसारी निवासी मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल **दिनांक- 15.03.2024**

थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा हत्या में वांछित अभियुक्त को एक मोटरसाइकिल, अवैध चाकू व अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि वादी श्री छोटे उर्फ छोटू पुत्र होली प्रसाद निवासी ग्राम मदारा थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर ने थाना नांगल पर तहरीर देकर अवगत कराया कि वादी की पत्नी पूनम 05 माह से जालंधर पंजाब से लापता थी तथा पूनम अपने साथ 04 वर्षीय छोटे बेटे को भी साथ लेकर गयी थी। इस संबंध में थाना नांगल पर दिनांक 15.03.2024 को मु0अ0सं0 57/24 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण -

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2024 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 57/24 धारा 363 भादवि में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र चमनलाल निवासी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया गया तथा उसकी निशादेही पर अपहृत बच्चे को उसके घर से सकुशल बरामद किया गया। अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 364 भादवि व 4/25 शस्त्र अधिनियम की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त रोहित पुत्र चमनलाल निवासी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर थाना नांगल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/24 धारा 302/201/120बी भादवि में भी वांछित अभियुक्त था। अभियुक्त रोहित उपरोक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ एक राय होकर पूनम की हत्या कर दी थी। उपरोक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा 1- रोहताश पुत्र रघुवीर 2- रघुवीर पुत्र हरी सिंह निवासीगण ग्राम ताहरपुर उर्फ राजारामपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 3- होरी सिंह पुत्र जुहारा निवासी ग्राम बेगावाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रोहित पुत्र चमनलाल निवासी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल।

एक अवैध चाकू।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त –

1-मु0अ0सं0 55/24 धारा 302/201/120बी भादवि थाना नांगल जनपद बिजनौर।

2-मु0अ0सं0 57/24 धारा 363/364 भादवि व 4/24 शस्त्र अधिनियम थाना नांगल जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1- श्री अशोक कुमार, थाना प्रभारी नांगल जनपद बिजनौर।
2- उ0नि0 योगेश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
3- मुख्य आरक्षी 549 विकास कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
4- आरक्षी आकाश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
5- आरक्षी सोनू कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
6- आरक्षी राजीव कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
7- आरक्षी प्रवीण देशवाल थाना नांगल जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक 15.03.2024**

थाना चांदपुर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने 603 पेटी अवैध शराब (कुल अनुमानित कीमत – 50 लाख रुपये) तथा परिवहन में प्रयुक्त कैंटर को किया बरामद ।

कार्यवाहीः-

जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में असिस्टेंट कमिश्नर राज्यकर सचल दल इकाई धामपुर के द्वारा आबकारी निरीक्षक श्री अभय कुमार को वाहन संख्या HP63C-3229 में शराब होने के संदेश होने की सूचना दी गयी । इस सूचना पर आबकारी व थाना चांदपुर पुलिस की संयुक्त पुलिस टीम GST कार्यालय, चांदपुर पर पहुंची तथा संयुक्त रुप से जांच की गयी तो कैंटर ट्रक से कुल 603 पेटी अवैध विदेशी मदिरा (पंजाब राज्य में ब्रिकी हेतु) बरामद की गयी । साथ ही कैंटर से 02 कुटरचित इनवॉयस प्रपत्र (सरसो तेल व चाय पत्ती), वाहन संख्या HP63C-3229 की आर0सी0 तथा राजेश मधाई पुत्र लेखराज निवासी नगर पंचायत चौपाल वार्ड नम्बर-04 शिमला, हिमाचल प्रदेश का आधार कार्ड बरामद हुआ । प्राप्त कागजातों से विदित हुआ कि उक्त गाडी का चालक/मालिक राजेश मधाईक उपरोक्त उक्त गाडी में फर्जी तरीके से सरसों के तेल व चायपत्ती के कूटरचित टैक्स इनवॉयस तैयार कर गाडी में उक्त अवैध शराब की पेटियों को भरकर परिवहन कर रहा था । उपरोक्त वाहन व माल को कब्जे में लेकर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 122/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि व धारा 63/72 आबकारी अधिनियम बनाम राजेश मधाईक उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

बरामदगी का विवरण

1- 197 पेटी (कुल 2364 बोतल 750 ml)
2. 200 पेटी (कुल 4800 बोतल 375 ml)
3. 176 पेटी (कुल 2112 बोतल 750 ml)
4. 30 पेटी (कुल 720 बोतल 375 ml)
5- परिवहन में प्रयुक्त कैंटर नम्बर HP63C-3229
6- 02 कूटरचित इनवॉयस प्रपत्र।

नोटः- कुल 603 पेटी में 9,996 बोतल बरामद की गयी। जिनकी कुल अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये है।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री राजेश बैंसला, प्रभारी निरीक्षक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. श्री अभय कुमार, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र- 4 चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. श्री हरि नारायण यादव, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र – 1 चांदपुर जनपद बिजनौर।
4. मुख्य आरक्षी 464 दिनेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5. प्रधान आबकारी सिपाही बुद्धेश गौतम क्षेत्र – 4 चांदपुर जनपद बिजनौर।
6. मुख्य आरक्षी चालक वीरेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मंड़ावर **दिनांक 15.03.2024**

थाना मंड़ावर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तो को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2024 को थाना मंड़ावर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान भिन्न – भिन्न स्थानो से क्रमशः अभियुक्त रजनीश उर्फ रज्जू पुत्र अशोक निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मंड़ावर मु0अ0सं0 89/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त परमजीत उर्फ भूरे निवासी ग्राम इनामपुरी थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0स0 91/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

1.रजनीश उर्फ रज्जू पुत्र अशोक निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर
2. परमजीत पुत्र भूरे निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

02 अवैध तमंचे व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री कुवंरपाल सिंह Sथाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 विनोद कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3. हे0का0 364लालू थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4. का0 2094 अकित थाना मंडावर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर दिनांक – 15.03.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 97/2024 धारा 379 भादवि से संबंधित अभियुक्त को चोरी गयी मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.03.2024 को वादी ह्रदेश कुमार पुत्र मुखराम सिंह निवासी ग्राम चकशाहजनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 06.03.2024 को अज्ञात चोर द्वारा वादी कि मोटर साइकिल हीरो होण्ड़ा रजि नं0 UP20 CB5480 चोरी कर ली है । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 97/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त अजीम पुत्र इस्लामउल्ला नि0 मौ0 बल्हेडा गांव सलेमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाये जाने व वाहन चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी गये वाहनो की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 97/2024 धारा 379 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त अजीम पुत्र इस्लामउल्ला नि0 मौ0 बल्हेडा गांव सलेमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को चोरी गयी मोटरसाइकिल हीरो होण्ड़ा रजि नं UP20 CB5480 सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजीम पुत्र इस्लामउल्ला नि0 मौ0 बल्हेडा गांव सलेमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद

बरामदगी –

मोटर साइकिल हीरो होण्ड़ा रजि नं UP20 CB5480

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 बिजेन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.मुख्य आरक्षी 596 कुलदीप सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 15.03.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नजीबाबाद	गुडडी पत्नी कमल सिंह नि0 ग्राम नरायणपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2	नजीबाबाद	ताबु पुत्र अय्यूब निवासी मौ0 सब्नीग्राम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3	शिवाला कलां	चन्द्रपाल पुत्र मुन्ना नि0 ग्राम रामौरुपपुप थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
4	शिवाला कलां	चरन सिंह पुत्र सत्यवीर नि0 ग्राम इमतलिया थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
5	हल्दौर	शीला रानी पत्नी युवराज सिंह नि0 ग्राम फरीदपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

थाना नजीबाबाद

थाना नजीबाबाद

थाना शिवाला कलां

थाना शिवाला कलां

थाना हल्दौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना मण्डावर दिनॉक 15.03.2024

थाना मण्डावर पुलिस ने जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित/वारंटी/जिलाबदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मण्डावर पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी माननीय न्यायालय के निर्देशो का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा में पाए जाने पर जिलाबदर अभियुक्त दिपेश पुत्र यशपाल निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 92/24 धारा 10 गुण्डा अधि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.दिपेश पुत्र यशपाल नि0 ग्राम इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास–

1–मु0अ0सं0 92/24 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2–मु0अ0सं0 157/22 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
3–मु0अ0सं0 145/22 धारा 302/201/34 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
4–मु0अ0सं0 358/21 धारा 396/307/302 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
5–मु0अ0सं0 1163/18 धारा 324/352 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1– उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2– हे0का0 364 लालू थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर **दिनांक 15.03.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त आसिफ पुत्र सईद अहमद नि0 मौ0 ईदगाह कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 107/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

आसिफ पुत्र सईद अहमद नि0 मौ0 ईदगाह कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 हरेन्द्र सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.हेड का0 201 भूप सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर